

संख्या/No. 7-1/2018-सा.सु.

भारत सरकार

फ़ोन/Ph. : 011-26105211  
फैक्स/Fax : 011-26101220  
टेलीफैक्स : 011-26102882  
टेलिफैक्स :  
वेबसाइट : www.cstt.nic.in  
Website :



सत्यमेव जयते

## वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

GOVERNMENT OF INDIA

COMMISSION FOR SCIENTIFIC & TECHNICAL TERMINOLOGY

Ministry of Human Resource Development

(Department of Higher Education)

पश्चिमी खंड VII, रामकृष्णपुरम सेक्टर-I,  
West Block VII, R.K. Puram, Sector-I,  
नई दिल्ली/New Delhi-110066

दिनांक:- 13.03.2020

सेवा में,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

विषय:- आयोग की फोटोकॉपियर मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव (AMC) का ठेका देने हेतु निविदा आमंत्रण से संबंधित।

महोदय,

इस आयोग के 4 फोटोकॉपियर मशीनों की मरम्मत व रख-रखाव हेतु ठेका दिया जाना है। इसके लिए निविदा आमंत्रित की जानी है इस कार्य के लिए आप सहमत हों तो इसकी दरें अपनी फर्म के लैटर हैड पर पूरा ब्यौरा स्पष्ट रूप में भरकर निविदा के रूप में सीलबंद लिफाफे में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पश्चिमी खंड-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 के पते पर दिनांक 27.03.2020 पूर्वाह्न 11:30 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के नाम भिजवाने की व्यवस्था करें। प्राप्त निविदाएं उसी दिन साय 03:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में खोली जाएगी। अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को निरस्त कर सकते हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,

(डॉ. अशोक एन. सलवेटकर)

नियंत्रण अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. आयोग/मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करवाने के लिए सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (वेबसाइट) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(डॉ. अशोक एन. सलवेटकर)

नियंत्रण अधिकारी

मि.सं. 7-1/2018-सा.अनु.

भारत सरकार

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम्,

नई दिल्ली-110066

दिनांक:- 13.03.2020

विषय: आयोग की फोटो कॉपियर मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव (AMC) की निविदा के लिए निविदा प्रपत्र तथा नियम व शर्तें।  
इस आयोग द्वारा कार्यालय की फोटो कॉपियर मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव (AMC) की निविदा हेतु नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. प्रस्तुत टेंडर एक वर्ष के लिए वैध होगा किंतु अपरिहार्य स्थिति में टेंडर की अवधि बढ़ाई/घटाई जा सकती है।
2. फर्म द्वारा जो दरें प्रस्तुत किए जाने के उपरांत दर में वृद्धि के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। टेंडर अवधि में फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई दरों पर ही कार्य करना होगा।
3. निविदा में दर्शाई गई सभी दरें अनिवार्य रूप से स्पष्ट अंकित करनी होंगी ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके। ओवर राइटिंग अथवा अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा। निविदा अपनी फर्म के लेटर हैड पर प्रस्तुत करें।
4. फोटो कॉपियर मशीन की कार्ट्रिज तथा अन्य पार्ट्स के विषय में स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य है।
5. इस कार्यालय को जो बिल प्राप्त होंगे उनका ई-भुगतान सामान्यतः 45 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा किंतु अपरिहार्य स्थिति में विलंब भी हो सकता है जिसके लिए किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान देय नहीं होगा।
6. फर्म को आदेश प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर कार्य करने की अपनी अनुमति इस कार्यालय को लिखित में देनी होगी।
7. टेंडर देने से पूर्व सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें तथा संस्था की मुहर लगाएं।
8. GST/PAN/TAN No. आदि आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रति संलग्न करें।
9. सामान्यतः न्यूनतम दरों की निविदा स्वीकार की जाएगी किंतु किसी भी टेंडर को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी में निहित होंगी।
10. अपूर्ण एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
11. आमंत्रित निविदाएं दिनांक 27.03.2020 को पूर्वाह्न 11:30 बजे तक स्वीकार/प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त सभी निविदाएं उसी दिन अपराह्न 03:30 बजे टेंडर/क्रय समिति के समक्ष आयोग के समिति कक्ष में खोली जाएंगी। यदि कोई निविदाकर्ता निविदा खोलते समय उपस्थित रहना चाहता है तो उसे अपनी उपस्थिति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को अपराह्न 2:45 बजे तक लिखित में देनी होगी।
12. आमंत्रित निविदाएं सीलबंद लिफाफे के अंदर ही स्वीकार की जाएंगी तथा लिफाफे के ऊपर विषय लिखना अनिवार्य है।
13. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी ठेके को बिना किसी पूर्व सूचना के आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रद्द कर सकते हैं।


संपर्क:-

डॉ. अशोक एन. सेलवटकर, नियंत्रण अधिकारी

दूरभाष:-26105211, एक्सटेंशन:-275

श्री सतबीर सिंह, प्र.श्रे.लि.

दूरभाष:-26105211, एक्सटेंशन-269



(डॉ. अशोक एन. सेलवटकर)

नियंत्रण अधिकारी